25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3667/2018/भोपाल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 18-2-2018 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक नजूल, भोपाल प्रकरण क्रमांक 14/अ-12/2017-18.

फरहान अख्तर सिद्दीकी अत्मज सईद अख्तर साहब
निवासी म.नं. 88, निखहत सिटी कोटवाली
हाल निवास मुंबई महाराष्ट्र .....आवेदक

विरूद्ध

डॉ. अनवर मोह. खान आत्मज अलामगीर
निवासी बुधवारा भोपाल .....अनावेदक

श्री बी.एन. मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अविनाश मालवीय, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/3/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक नजूल, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 18-2-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम सिंगार चोली तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे क्रमांक 21/1/1, 23/1/1 रकबा 0.061 एवं 0.041 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार नजूल बैरागढ़ जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ-12/2017-18 पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक/पटवारी को सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 18-2-2018 को सीमांकन किया जाकर तहसीलदार को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

1. आवेदक ने अनावेदक के डायवर्टेड भूमि खसरा क्र. 21/1/1, 23/1/1 रकबा क्रमश: 0.061 एवं 0.041 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम सिंगार चोली विकास खण्ड फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल की भूमि को सीमांकन बावत् आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पड़ौसी कृषकों को सूचना पत्र जारी किये बिना एवं बिना अक्सबटान के मूल खसरा का अंशभाग का तथाकथित सीमांकन किया गया । प्रचलित प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 27.01.2018 में सूचना पत्र का हवाला है, परंतु कोई सूचना पत्र जारी नहीं व न ही तामीली प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न है, जो सूचना पत्र दिनांक 27.01.2018 को जारी कर दिनांक 04.02.2018 को सीमांकन कराये जाने के कारण आगामी दिनांक 18.02.2018 को सीमांकन हेतु कार्यवाही नियत की गई, ऐसा आदेश पत्रिका में अभिलिखित है । तदुपरांत दिनांक 18.02.2018 को आवेदक स्वयं उपस्थित एवं पड़ौसी कृषक उपस्थित सीमांकन के समय आवेदक को दिनांक 18.02.2018 की उपस्थिति का कोई सूचना पत्र जारी नहीं, जबकि आवेदक सीमांकन दिनांक को व उसके पूर्व से भोपाल से बाहर मुंबई महाराष्ट्र में निवासरत है एवं प्रश्नाधीन संपत्ति पर आवेदक की भूमि रकबा 0.25 एकड़ भूमि विधिवत आवासीय प्रयोजन के लिए शासन से अनुमति प्राप्त होकर स्वीकृत है । इसी प्रकार अन्य पड़ौसियों की भूमिका का भी आवासीय प्रयोजन हेतु स्वेल/मद परिवर्तन हो चुका है व अनावेदक की भी भूमि आवासीय हेतु स्वीकृत है, जिस पर सीमांकन यानि कृषि भूमि न होने से संहिता की धारा प्रयोज्य ही नहीं होती व तथाकथित सीमांकन में संलग्न आदेश पत्रिका दिनांक 18.02.2018 जिसमें राजस्व निरीक्षक ने स्वयं यह लिखा है कि सीमाओं से अवगत होने पर आपत्ति की, जिसका निराकरण राजस्व निरीक्षक को प्रथमत: करना था, पर ऐसा न कर आपत्ति उपरांत कब्जे की कार्यवाही तहसीलदार के कोर्ट में होगी व प्रकरण आज भी अस्तित्व में है, जिसे दाखिल दफ्तर नहीं किया है।
2. संलग्न स्थल नक्शा में खसरा क्र. 23 व 21 के किसी भी भाग पर किसी भी भूमि स्वामी की भूमि का बटान नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नाधीन संपत्ति पर कौन कहां स्थापित है, अभिप्राय यह कि जब अक्श बटान ही अनावेदक का स्वीकृत नहीं है तो सीमांकन किस आधार पर व किस भूमि का तथ्य जो लाल स्याही से कब्जा बताया गया है, वह भाग आवेदक का विधिवत स्वीकृत अक्श बटान व डायवर्टेड भूमि डायवर्सन आदेश दिनांक 10.09.2009 से स्वीकृत है। आवेदक अपने भाग 0.25 एकड़ भाग पर काबिज काश्त है, जिस पर कृषि भूमि न होने से

सीमांकन के प्रावधान संहिता की धारा 129 लागू नहीं होते व सीमांकन फील्ड बुक तथा संलग्न बेजा कब्जा का अक्श अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अनावेदक की भूमि खसरा क्र. 21 के संपूर्ण भाग पर सीमांकन किया गया है, जबकि खसरा क्र. 21 पर अनावेदक का स्वत्व 15.00 डेसीमल तथा खसरा क्र. 23 पर 10.00 डेसीमल भूमि अनावेदक की है, जबकि सीमांकन पर खसरा क्र. 21 पर संपूर्ण भूमि का सीमांकन परिलक्षित हो रहा है, जहां पर अनावेदक का स्वत्व ही नहीं है। इस प्रकार अप्रकियात्मक कार्यवाही में हुये सीमांकन को स्थिर नहीं रखा जा सकता, जिसे निरस्त किया जावे ।

3. निगरानी के साथ संलग्न डायवर्सन प्रकरण क्र. 49/अ-2/98-99 की प्रति मय आर्डरशीट के तथा आवेदन व संलग्न शपथ पत्र पूर्व से संलग्न प्रस्तुत है, जिसमें अनावेदक की भूमि अलग-अलग हैं व साथ में सीमांकन के नियमों का विधिसम्मत पालन नहीं किया गया है व न ही जिस दिनांक को तथाकथित सीमांकन किये जाने का उल्लेख है। उक्त दिनांक का सूचना पत्र आवेदक को दिया गया है। फलत: सीमांकन निरस्त किया जाना आवश्यक है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकन के आदेश दिये गये हैं । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सीमांकन कार्यवाही की सूचना दी जाकर टोटल मशीन के माध्यम से सीमांकन किया जाकर, पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्श तैयार किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि पंचनामा से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं । उक्त सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक की भूमि पर आवेदक को अवैध कब्जा पाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अत: निगरानी निरस्त किया जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 27-1-2018 की आदेश पत्रिका में राजस्व निरीक्षक ने लिखा है कि सीमांकन के लिये दिनांक 4-2-2018 रखी गई थी तथा फिर 18-2-2018 नियत की गई । स्पष्ट है कि उक्त आदेश पत्रिका कार्यवाही के बाद पूर्व दिनांक में लिखी गई है । इसी प्रकार सूचना पत्र जो कृषकों को जारी हुआ है वह दि.4-2-2018

के लिये जारी हुआ था उसी में नीचे दिनांक 18-2-2018 अंकित कर दी गई है । स्पष्ट है कि दिनांक 18-2-2018 के सीमांकन की कोई सूचना जारी नहीं की गई है । नक्शे में यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन तीन की जगह मात्र दो स्थायी चिन्हों से नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि सीमांकन विधिवत नहीं हुआ है अत: स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक नजूल, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 18-2-2018 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर